संख्या-166/2016/305/22-2-2016-17(69)/2016

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 26 सितम्बर, 2016***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राहुल मिश्रा ऊर्फ चुलबुल मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद मिश्रा निवासी जनपद-प्रतापगढ़ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-49391/पर-3(एम-06-08-2014) दिनांक-11-12-2015 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी राहुल मिश्रा ऊर्फ चुलबुल मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद मिश्रा, निवासी-बीरमऊ दारमाधो, थाना- कन्धई, जिला-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 14.02.2000 को प्रात: लगभग 10:00 बजे स्कूटर से बैक में पैसा जमा करने जा रहे दिनेश मिश्रा व सेरेश चन्द्र मिश्रा को टक्कर मारकर गिरा दिया तथा तमंचे से फायर कर सुरेश चन्द्र मिश्रा को घायल कर रूपया लूट कर भाग गये, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 394/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 04.10.2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26-09-2015 तक 15 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 11 माह 107 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सामान्य है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राहुल मिश्रा ऊर्फ चुलबुल मिश्रा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद मिश्रा निवासी जनपद-प्रतापगढ़ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेयक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी राहुल मिश्रा ऊर्फ चुलबुल मिश्रा (बन्दी संख्या-3681/05 पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद मिश्रा निवासी जनपद-प्रतापगढ़ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-166/2016/305(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्ंया-166/2016/305@22-2-2016-17(69)/2016

दिनांक 26 सितम्बर, 2016 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध बन्दी राहुल मिश्रा ऊर्फ चुलबुल मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद मिश्रा, निवासी-बीरमऊ दारमाधो, थाना- कन्धई, जिला-प्रतापगढ़ का रहने वाला है। बन्दी ने 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर दिनांक 14.02.2000 को प्रात: लगभग 10:00 बजे स्कूटर से बैक में पैसा जमा करने जा रहे दिनेश मिश्रा व सेरेश चन्द्र मिश्रा को टक्कर मारकर गिरा दिया तथा तमंचे से फायर कर सुरेश चन्द्र मिश्रा को घायल कर रूपया लूट कर भाग गये, जिसकी उपचार के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2000 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302, 394/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0 द्वितीय, प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 04.10.2005 को आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 26-09-2015 तक 15 वर्ष 07 माह 10 दिन की अपरिहार तथा 18 वर्ष 11 माह 107 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल में आचरण सामान्य है। बन्दी का 01 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध है। जिला प्रोबेशन अधिकारी ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। पुलिस अधीक्षक ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ ने बन्दी द्वारा पुन: अपराध कारित किये जाने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता, बन्दी के परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा बन्दी की समयपूर्व रिहाई हेतु उपयुक्त नहीं है, की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। प्रोबेशन बोर्ड ने बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, प्रतापगढ़ द्वारा किये गये विरोध के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्वदोष बन्दी राहुल मिश्रा ऊर्फ चुलबुल मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण प्रसाद मिश्रा निवासी जनपद-प्रतापगढ़ को प्रोबेशन पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।